मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–27.01.2025 (सोमवार) को 04:00 बजे अपराह्न में संपन्न खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– संलग्न–

दिनांक 27.01.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों यथा– राज्य में उपलब्ध खनिजों के गहन अन्वेषण, वृहत खनिज ब्लॉकों की यथाशीघ्र नीलामी एवं संचालन, अनीलामित बालूघाटों की बंदोबस्ती, राजस्व समाहरण में वृद्धि एवं अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण जैसे विषयों पर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निम्न निदेश प्राप्त हुए:–

- वृहत खनिजों के पाँच ब्लॉक जिनकी नीलामी भारत सरकार द्वारा करायी जानी है, उनके लिये खान मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र नीलामी करायी जाय। इस हेतु आवश्यकतानुसार विभाग के किसी पदाधिकारी को नई दिल्ली भेज कर निविदा की कार्रवाई त्वरित करायी जाय। एक अन्य खनिज ब्लॉक के संबंध में गया एवं औरंगाबाद जिले से Land Revenue Report अप्राप्त है। शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु विभाग के किसी पदाधिकारी को संबंधित जिलों में भेजकर प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए यथाशीघ्र नीलामी हेतु कार्रवाई की जाय।
- वृहत खनिजों के नीलामित चार ब्लॉकों के चयनित निविदादाता को विभिन्न प्रकार के वैधानिक अनापत्तियों को प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु महीने में कम–से–कम से एक बार बैठक की जाय।
- वृहत खनिज के संबंध में डाकवक्ताओं की सुविधा के लिये विभाग में सम्पर्क का एकल सूत्र (SPOC) होना चाहिए। इस संबंध में अवगत कराया गया कि श्रीमती बीणा कुमारी, खनिज विकास पदाधिकारी (मु0) SPOC के रूप में अधिकृत हैं।
- राज्यान्तर्गत खनिजों के अन्वेषण कार्य को सुदृढ़ करने हेतु पृथक "Exploration Wing" की स्थापना किये जाने का निदेश दिया गया। खनिजों के अन्वेषण में अग्रणी राज्यों यथा झारखण्ड, उड़ीसा जैसे राज्यों के तर्ज पर पर्याप्त कार्यबल एवं संसाधनों से युक्त भूतात्विक एवं अन्वेषण निदेशालय की स्थापना किये जाने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् अन्वेषण कार्य हेतु निविदा के माध्यम से दक्ष एजेंसियों को Empanel कर खनिजों के अन्वेषण का कार्य प्रारंभ कराये जाने का निदेश दिया गया।
- आगामी बैठक में बिहार राज्य में खनिजों के अन्वेषण कार्य से संबंधित GSI के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने का निदेश दिया गया। CMPDI एवं GSI के साथ विभाग स्तर पर बैठक कर अन्वेषण कार्य में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया।
- अनीलामित घाटों का नदीवार विश्लेषण कर घाटों को मिलाकर नीलाम कराने का प्रयत्न कराया जाय, इसके अलावा आवश्यकतानुसार रॉयल्टी दर या बिडिंग शर्त्तों में बदलाव कर शीघ्र नीलामी सम्पन्न करायी जाय। SEIAA/SEAC के समक्ष लंबित

ToR, लोक सुनवाई एवं पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदनों का तुरन्त निष्पादन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से समन्वय स्थापित कर कराया जाय।

- अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी जिलों में संवेदनशील स्थलों पर रोड गैन्ट्री अविलम्ब स्थापित कराये जाने हेतु निदेश दिया गया। विभाग स्तर से इसकी नियमित समीक्षा कर तय समय–सीमा के अन्दर रोड गैन्ट्री स्थापित कराये जाने का निदेश दिया गया।

- NIC के द्वारा पूरे राज्य में VLTS को पूर्णरूपेण शीघ्र लागू करने का निदेश दिया गया। इस हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर का क्रय अविलम्ब करते हुए, VLTS/Geo-fencing की प्रतिदिन समीक्षा Professional आई0टी0 टीम के द्वारा कराई जाय। नियमों के उल्लंघन की दशा में दोषी वाहनों पर विधिसम्मत कार्रवाई संबंधित जिले द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

- पूरे राज्य में संचालित ईंट–भट्ठों का अविलम्ब सत्यापन कराया जाय एवं बिना रॉयल्टी का भुगतान किये बगैर ईंट–भट्ठों का संचालन किसी भी परिस्थिति में न हो। इसके अनुपालन हेतु विभाग स्तर से सभी जिलों को सख्त निदेश निर्गत किया जाय।

- निजी जमीन से मिट्टी के घरेलू उपयोग किये जाने के दौरान कई बार नियमावली के प्रावधानों की अस्पष्टता के कारण आम–जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी सूचना विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही है। आम–जनता की सहूलियत के लिए प्रावधानों को सुगम एवं स्पष्ट बनाते हुए प्रचारित करने का निदेश दिया गया।

- अवैध खनन को रोकने हेतु कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के तर्ज पर NIC की सहायता से 'खनन प्रहरी' मोबाईल एप को विकसित कराया जाय।

- विभाग स्तर पर कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर का प्रभावी एवं सुचारू रूप से संचालित किये जाने का निदेश दिया गया। खनन सॉफ्ट वेबसाईट को सारथी पोर्टल के साथ अविलम्ब integrated करने हेतु NIC के राज्यस्तरीय पदाधिकारी के साथ बैठक किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

- बिहार राज्यान्तर्गत पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस के अन्वेषण हेतु ONGC को प्राप्त Exploration License के आलोक में संबंधित जिलों में हो रहे कार्यों की प्रगति की प्रत्येक माह समीक्षा की जाय।

- विभाग द्वारा सभी जिलों में पदस्थापित खनिज विकास पदाधिकारियों/खान निरीक्षकों का विभिन्न मापदण्डों पर प्रदर्शन के आधार पर माहवार रैंकिंग तैयार की जा रही है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर रैंकिंग में लगातार खराब प्रदर्शन वाले खनिज विकास पदाधिकारियों/खान निरीक्षकों से कारण–पृच्छा करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

- विभाग में पर्याप्त संख्या में कार्यबलों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग

एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्तर पर लंबित है, इसे संबंधित आयोगों से समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न कराये जाने का निदेश प्राप्त हुआ।

- ❖ प्रत्येक जिले में जिला खनन कार्यालय, कर्मियों के लिये आवासीय परिसर एवं सुरक्षा बलों के लिये बैरक हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राक्कलन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने निदेश दिया गया।
- ❖ नीलाम पत्र वादों में जिन बकायेदारों से बड़ी राशि वसूल की जानी है, उन मामलों में जिला स्तर से समन्वय स्थापित करते हुए उनका जमीन/सम्पति का आकलन कर सम्पतियों को अटैच कराते हुए बकाये राशि की वसूली करायी जाय।
- ❖ पत्थर खनन पट्टों से प्राप्त राजस्व में कमी की समीक्षा की जाय।
- ❖ जिलास्तरीय खनन टास्क की नियमित बैठक के संबंध में की गई पृच्छा के क्रम में अवगत कराया गया कि दिसम्बर माह में 35 जिलों में खनन टास्क की बैठक की गई है। इस क्रम में विगत एक वर्ष में संपन्न जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निदेश प्राप्त हुआ।
- ❖ DMF मद में जिन जिलों में संग्रहण राशि की मात्रा पर्याप्त है, उन जिलों में विशेष रूप से जन उपयोगी एवं सार्थक योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाय। इस हेतु विभाग स्तर से संबंधित जिलों को निदेश दिया जाय।
- ❖ विभिन्न माध्यमों से सूचनाएँ प्राप्त हो रही है कि मेघालय, असम एवं बंगाल में अवैध रूप से उत्खनित कोयले को बिहार में लाया जा रहा है। इसपर लगाम लगाने हेतु गलगलिया व किशनगंज में 24x7 चेक–पोस्ट लगाने का निदेश समाहर्त्ता को दिये जाने का निदेश दिया गया। उक्त चेक–पोस्ट पर वाणिज्य कर विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए वाणिज्य कर एवं खनन विभाग के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए अवैध कोयले के व्यापार को रोके जाने का निदेश दिया गया।
- ❖ खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा जिलावार एवं ट्रांजेक्शनवार दैनिक समाहरण प्रतिवेदन O-GRASS/CFMS पोर्टल पर देखने हेतु प्रधान सचिव/निदेशक, खान एवं प्रत्येक जिले के खनिज विकास पदाधिकारी को Login ID एवं viewing and downloading right प्रदान करने हेतु वित्त विभाग को समुचित प्रावधान किये जाने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव
खान एवं भूतत्व विभाग।

ह0/–
(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

P.T.O.

ज्ञापांक :– 645 /एम0, पटना, दिनांक :– 05/02/25

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/विशेष कार्य पदाधिकारी–I, II/अवर सचिव एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/सभी खान निरीक्षक (मु0/क्षे0)/सदस्य सचिव, SEIAA/SEAC, बिहार, पटना/प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर, NIC/ आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/1/25

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 645 /एम0, पटना, दिनांक :– 05/02/25

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी पुलिस अधीक्षक को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

04/1/25

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 645 /एम0, पटना, दिनांक :– 05/02/25

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त–सह–सचिव, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

04/1/25

अपर सचिव